राजस्व वाद संख्या— 170 / 2016
GCMS NO- 2016/00395
रामेश्वर बनाम रोशनी आदि
निर्णय दिनांक— 05.07.2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — अभिलाषा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या— 170 / 2016

GCMS NO- 2016/00393

1. रामेश्वर जाईन्दा पुत्र चन्द्राराम दत्तक पुत्र बल्लाराम उर्फ मंगलाराम जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला तहसील

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. रोशनी देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी सिरसी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा
2. बलवानसिंह
3. सुरेश कुमार
4. कुलदीप } रामकुमार जाति जाट निवासी सिरसी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
5. मु. सुनिता पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी सिरसी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।
6. विरेन्द्रसिंह पुत्र धुपसिंह जाति रामवास तहसील चरखी दादरी जिला झुंझुनूं हरियाणा।
7. राजा देवी पत्नी भालाराम जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला
8. सुरेश कुमार
9. सुनील कुमार } पुत्रान भालाराम जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला
10. बिमला पुत्री
11. मुन्नी पुत्री } भालाराम जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला
12. पवन कुमार
13. मीरसिंह } पुत्रान रामस्वरूप जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला
14. कशमीरो पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला
15. सुमन पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला।
16. बिजेन्द्र
17. मदन
18. सुरेश } पुत्रान भगवानाराम जाति जाट निवासी धिंधवा बिचला
19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना

.... अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-- 170/2016
GCMS NO- 2016/00395
रामेश्वर बनाम रोशनी आदि
निर्णय दिनांक:– 05.07.2021

उपस्थित :–
1. प्रार्थीगण की ओर से – श्री गोरधनसिंह अधिवक्ता
2. अप्रार्थी सं0 1से 5 की ओर से – श्री मनोज डिग्रवाल अधिवक्ता
3. अप्रार्थी सं. 6 की ओर से – श्री सोमवीर अधिवक्ता

::निर्णय::

दिनांक : 05.07.2021

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण है कि–यह कि ग्राम धिंधवा बिचला में एक किशनाराम नाम का व्यक्ति था किशनाराम की मृत्यू करीब 80–90 वर्ष पूर्व हो चुकी है। किशनाराम के दो पुत्र चन्द्राराम व बल्लाराम हुए बल्लाराम उर्फ मंगलाराम का स्वर्गवस माह अक्टु0 1980 में हो गया था। चन्द्राराम का स्वर्गवास 1983 में हो गया था। बल्लाराम की शादी ग्राम सिरसी में हुई थी। बल्लाराम के कोई सन्ताननही थी। बल्लाराम की पत्नी का स्वर्गवास भी बल्लाराम से बहुत पहले हो गया था। बल्लाराम की पत्नी अपने भाई के पुत्र रामकुमार को अपने साथ रखती थी। बल्लाराम का राशन कार्ड आदि बना उसमें रामकुमार का नाम बल्लाराम के पुत्र के रूप में दर्ज हो गया और इसी प्रकार अन्य दस्तावेजात में भी नाम दर्ज हो गया। किन्तु बल्लाराम उर्फ मंगलाराम के रामकुमार नाम की कोई सन्तान नही थी। रामकुमार सिरसी से आकर बल्लाराम उर्फ मंगलाराम व उसकी पत्नी के साथ रहता था वह भी बल्लाराम की पत्नी की मृत्यु के बाद अपने मूल गांव जाकर रहने लग गया। बल्लाराम की पत्नी का स्वर्गवस होने के बाद जब प्रार्थी करीब 12–13 साल का था तब बल्लाराम उर्फ मंगलाराम ने प्रार्थी को उसके जाईन्दा पिता चन्द्राराम से गोद लिया था। गोद के वक्त दत्तक पुत्र है। गोद लेने की कोई लिखा पढी नही हुई। जो औपचारिकता मात्र है। प्रार्थी अपने जीवन प्रर्यन्त उक्त बल्लाराम उर्फ मंगलाराम के साथ रहा है। प्रार्थी का लालन पालन मंगलाराम ने ही किया है। ग्राम धिंधवा बिचला में चन्द्रा व बल्लाराम की खातेदारी काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 329/210 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 330/209 रकबा 0.02 है., गै.मु. कुआं किता 3 रकबा 0.63 है., स्थित है। भूमि में बल्लाराम का हिस्सा 1/2 व चन्द्र का हिस्सा 1/2 रहा है। बल्लाराम की मृत्यु के बाद बल्लाराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/2 दर्ज होती व हिस्सा 1/2 चन्द्र के नाम था उसका इन्द्राज चन्द्र के पुत्र रामस्वरूप, भगवानाराम, भागीरथ, पुत्री ज्यानीकी के नाम दर्ज होना था परन्तु प्रार्थी का नाम गलत से चन्द्र के हिस्से में दर्ज कर दिया। बल्लाराम का हिस्सा 1/2 में बल्लाराम के स्थान पर प्रार्थी के नाम दर्ज होना था। इस भमि भूल से बल्लाराम पुत्र किशना के नाम दर्ज होता रहा है। बल्लाराम की मृत्यु के बाद प्रार्थी [illegible] भूमि पर कब्जाकाश्त रहा है तथा चन्द्राराम की मृत्यु के बाद उसकी भूमि पर [illegible] वारिस कब्जेकाश्त रहे है। ग्राम सिरसी हरियाणा का रामकुमार पुत्र [illegible] कभी ग्राम धिंधवा में बल्लाराम के पास अपनी बुआं के साथ रहा व गत 50 साल में कभी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

धिंधवा में नही आया है। इसका विवादित भूमि पर कोई हक हिस्सा नही रहा है। अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 02.03.2012 को उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि बल्लाराम पुत्र किशनाराम उसका ससूर था जिसका वास्तविक नाम मंगलाराम था उपर वर्णित विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में बल्लाराम गलत दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त किया जाकर मंगलाराम किया जावे उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने वह आवेदन पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ को जॉच हेतु भेज दिया। तहसीलदार ने वह प्रार्थना पत्र जॉच हेतु हल्का पटवारी को भेज दिया। हल्का पटवारी अप्रार्थी व भूमाफियाओं की योजना में शामिल था जिसने जॉच रिपोर्ट अप्रार्थी न0 1 के कहे अनुसार तैयार की जिस जॉच रिपोर्ट को उपखण्ड अधिकारी ने सही मान कर दिनांक 26.03.2012 को एक आदेश पारित कर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में बल्ला पुत्र किशना के स्थान पर मंगला पत्र किशना का नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी न0 1 ने उस प्रार्थना पत्र में अपना पता जो दर्ज किया वह धिधवा बिचला दर्ज किया जबकि इस नाम की कोई औरत धिंधवा बिचला में नही है। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के उक्त आदेश दिनांक 26.03.2012 के आधार पर दुरूस्ती का नामान्तरण संख्या 252 दिनांक 01.05.2012 स्वीकार हुआ तथा नामान्तरण संख्या 353 दिनांक 04.08.2012 मंगलाराम के वारिसान के रूप में अप्रार्थीगण न0 1 लगायत 5 के हक में राजस्व अधिकारियों ने मंजुर कर दिया। अप्रार्थी न0 1 लगायत 5 की योजना में हल्का पटवारी, हल्का गिरदावर व तहसीलदार सूरजगढ़ शामिल रहे है अन्यथा नामान्तरण संख्या 353 को ग्राम पंचायत तस्दीक करती परन्तु ग्राम पंचायत के यहा पेश हुए बिना इन्तकाल भरे जाने के बाद 8 दिन के अन्दर अन्दर ही तहसीलदार द्वारा मंजुर करना प्रतित होता है जबकि तहसीलदार का 45 दिन तक क्षेत्राधिकार ही नही होता है। और उन दोनों इन्तकालों को किसने स्वीकृत किया यह स्पष्ट भी नही हो रहा है अप्रार्थी न0 1 लगायत 5 न तो गॉव धिंधवा के निवासी है न उनक कभी कब्जा रहा है। राजस्व अधिकारियों ने भूमाफियो से मिलकर गलत नामान्तरणकरण दर्ज किये है व गलत रूप से भूमि का राजस्व रिकार्ड दर्ज किया है उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा का आदेश दिनांक 26.03.2012 नामान्तरणकरण संख्या 353,353 अप्रार्थी न0 1 से 5 द्वारा राजस्व अधिकारियों से शाजिस के तहत की गई कार्यवाही और बाला बाला की गई है जिस बाबत प्रार्थी या अन्य सह काबिज काश्तकारों को कोई सूचना नही दी गई है इसलिए उक्त आदेश दिनांक 26.03.2012 व नामान्तरण संख्या 352 व 353 तथा उनके आधार पर तैयार गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण के अधिकारो के विरूद्व प्रारम्भ से ही शुन्य व निस्प्रभावी है व वादीगण उक्त आदेश व नामान्तरणों से पाबन्द नही है अप्रार्थी न0 1 लगायत 5 को भी उक्त शाजिस व फर्जी कार्यवाही से विवादित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नही हुए है। अप्रार्थी न0 1 लगायत 5 ने उपरोक्त भूमि का हिस्सा 1/2 गलत रूप से अपने नाम से दर्ज करवा कर [illegible] पत्र प्रतिवादी न0 6 के हक में दिनांक 05.04.2016 को करवा दिया [illegible] अधिकारियों ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण [illegible] स्वीकार कर दिया। उक्त नामान्तरण से पूर्व कब्जा काश्त की कोई जॉच के व बिना कब्जा काश्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
सूरजगढ़

मंजुर हुआ है। अप्रार्थी न0 1 से 5 द्वारा प्रतिवादी न0 6 के हक में करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2016 नुमाईसी व फर्जी है जब विवादित भूमि में अप्रार्थी न0 1 से 5 के ही कोई अधिकार नही थे तो केता अप्रार्थी न0 6 को भी कोई अधिकार प्राप्त नही हुए है। प्रतिवादी न0 1 से 5 का भूमि का कब्जा नही था तो अप्रार्थी न0 6 का कब्जा भी प्राप्त नही हुआ है। उक्त विकय पत्र दिनांक 05.04.2016 व उसके आधार पर भरा गया नामान्तरणकरण कब्जे के अभाव में शुन्य दस्तावेज है तथा उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरणकरण प्रार्थी के अधिकारो पर शुन्य व निस्प्रभावी है तथा प्रार्थी उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरणकरण से पाबन्द नहीं है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 208, 329 / 210, 330 / 209 ग्राम धिंधवा बिचला के प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल नही पहुंचावे व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को पाबन्द फश्रमाया जावे किवे भूमि पर लाठी के जोर पर कब्जा नही करे व न ऐसा कार्य अपने एजेन्टो से करावे।

(2) प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 1से 6 की ओर से जबाब प्रार्थना पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 7 से 18 की बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

(3) अप्रार्थी स0 1, व 3 से 5, 6 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर अतिरिक्त उत्तर निम्न प्रकार से पेश है–बब्लाराम उर्फ मगालाराम की शादी ग्राम सिरसी में चावली पुत्र मेहर सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनो के नुथ से एक जायन्दा पुत्र रामकुमार पैदा हुआं। प्रार्थी का यह कथन अस्वीकार है कि मै मंगलाराम उर्फ बल्लाराम के गोद गया था। मैने बल्लाराम की सेवाकारी चाकरी की थी। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के पूर्व में संतान है तो दुसरे पुत्र सन्तान को गोद लिया जाना कानूनी गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बल्लाराम के गोद कानूनी रूप से गोद नही जा सकता है। ना ही प्रार्थी बल्लाराम उर्फ मगलाराम ने प्रार्थी को गोद लिया है। बल्लाराम उर्फ मंगलाराम दोनो एक ही व्यक्ति है । बल्लाराम के फौत होने पर रामकुमार की माता चावली अपने पीहर सिरसी हरियाणा मे रहने लग गई थी। रामकुमार की माता चावली का देहान्त होने पर चावली के हिस्से में आई भूमि का राजस्व रिकार्ड राजकुमार के नाम दर्ज हुआं । रामकुमार बल्लाराम का जायन्दा पुत्र संतान है। विधानसभा पिलानी सूची क्रमांक सं. 571 भाग स 36 मे रामकुमार पुत्र मगलाराम दर्ज है। रामकुमार के पहचान पत्र में रामकुमार पुत्र मगलाराम दर्ज है। राजकुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी राजकुमार पुत्र मंगलाराम दर्ज है इससे स्पष्ट होता है कि रामकुमार मगलारामउर्फ बल्लाराम का जायन्दा पुत्र है। अप्रार्थी सं 1 द्वारा अपने ससुर का नाम बल्लाराम के स्थान पर मंगलाराम दर्ज किये जाने के लिए एक आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी चिड[illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की जाच पटवारी हल्का द्वारा की गई थी। उप[illegible]कारी चिडावा द्वारा अप्रार्थी सं 1 के ससुर का नाम बल्लाराम के स्[illegible] जाने के आदेश दिये गए थे। विवादित भूमि के 1 / 2 हिस्से पर [illegible] उर्फ मंगलाराम खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

काश्तकार काबिज था। उसके देहान्त के बाद रामकुमार व उसकी पत्नी चावली काश्तकार रहे। रामकुमार माता चावली के देहान्त के वाद उसके वारिस अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 खातेदार काश्तकार काबिज रहे।तथा जरिये विक्रय पत्र द्वारा अपने हिस्से 1/2 भूमि को अप्रार्थी सं. 6 को विक्रकर कब्जा करव दिया। क्रय दिनांक से अप्रार्थी सं. 6 को हिस्सा 1/2 पर काबिज है। प्रार्थी झुठे तथ्यों के आधार पर पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारीज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्ज खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

3) प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2072–75, नकल नामान्तकरण सं. 353, नकल फोटो कापी आदेशिका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा 26.03.2012, जांच रिपोर्ट 26.09.2012, पेश की गई।

4) अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से नकल नायब तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2012, नकल हल्का पटवारी रिपोर्ट 22.03.2012, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2012, नकल मृत्यु प्रमाण दिनांक 12.03.2012, नकल मतदाता सूची वर्ष 1998 भाग सं. 36, फोटो काफी पहचान पत्र, नकल जामबंदी ग्राम सिरसी सं. 1961–62, नकल जमाबंदी ग्राम सिरसी 1970–71 पेश की।

5) बहस उभय पक्षकारान विस्तार से सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि– ग्राम धिंधवा बिचला में एक किशनाराम नाम का व्यक्ति था किशनाराम की मृत्यू करीब 80–90 वर्ष पूर्व हो चुकी है। किशनाराम के दो पुत्र चन्द्राराम व बल्लाराम हुए बल्लाराम उर्फ मंगलाराम का स्वर्गवस माह अक्टु0 1980 में हो गया था। चन्द्राराम का स्वर्गवास 1983 में हो गया था। बल्लाराम की शादी ग्राम सिरसी में हुई थी। बल्लाराम के कोई सन्ताननही थी। बल्लाराम की पत्नी का स्वर्गवास भी बल्लाराम से बहुत पहले हो गया था। बल्लाराम की पत्नी अपने भाई के पुत्र रामकुमार को अपने साथ रखती थी। बल्लाराम का राशन कार्ड आदि बना उसमें रामकुमार का नाम बल्लाराम के पुत्र के रूप में दर्ज हो गया और इसी प्रकार अन्य दस्तावेजात में भी नाम दर्ज हो गया। किन्तु बल्लाराम उर्फ मंगलाराम के रामकुमार नाम की कोई सन्तान नही थी। रामकुमार सिरसी से आकर बल्लाराम उर्फ मंगलाराम व उसकी पत्नी के साथ रहता था वह भी बल्लाराम की पत्नी की मृत्यु के बाद अपने मूल गांव जाकर रहने लग गया। बल्लाराम की पत्नी का स्वर्गवस होने के बाद जब प्रार्थी करीब 12–13 साल का था तब बल्लाराम उर्फ मंगलाराम ने प्रार्थी को उसके जाईन्दा पिता चन्द्राराम से गोद लिया था। गोद के वक्त दत्तक पुत्र है। गोद लेने की कोई लिखा पढी नही हुई। जो औपचारिकता मात्र है। ग्राम धिंधवा बिचला में चन्द्रा व बल्लाराम की खाते[illegible]श्तकारी भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 329/210 [illegible] है., खसरा नम्बर 330/209 रकबा 0.02 है., गै.मु. कुआं किता 3 रकबा [illegible] है., स्थित है। भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

बल्लाराम का हिस्सा 1/2 व चन्द्र का हिस्सा 1/2 रहा है। बल्लाराम की मृत्यु के बाद बल्लाराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/2 दर्ज होती व हिस्सा 1/2 चन्द्र के नाम था उसका इन्द्राज चन्द्र के पुत्र रामस्वरूप भगवानाराम, भागीरथ, पुत्री ज्यानीकी के नाम दर्ज होना था परन्तु प्रार्थी का नाम गलत से चन्द्र के हिस्से में दर्ज कर दिया। बल्लाराम का हिस्सा 1/2 में बल्लाराम के स्थान पर प्रार्थी के नाम दर्ज होना था। इस भूमि भूल से बल्लाराम पुत्र किशना के नाम दर्ज होता रहा है। बल्लाराम की मृत्यु के बाद प्रार्थी उसकी भूमि पर कब्जाकाश्त रहा है तथा चन्द्राराम की मृत्यु के बाद उसकी भूमि पर उसके वारिस कब्जेकाश्त रहे है। ग्राम सिरसी हरियाणा का रामकुमार पुत्र मंगलाराम जो कभी ग्राम धिंधवा में बल्लाराम के पास अपनी बुआं के साथ रहा व गत 50 साल में कभी ग्राम धिंधवा में नही आया है। इसका विवादित भूमि पर कोई हक हिस्सा नही रहा है। जब विवादित भूमि में अप्रार्थी न0 1 से 5 के ही कोई अधिकार नही थे तो क्रेता अप्रार्थी न0 6 को भी कोई अधिकार प्राप्त नही हुए है। प्रतिवादी न0 1 से 5 का भूमि का कब्जा नही था तो अप्रार्थी न0 6 का कब्जा भी प्राप्त नही हुआ है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2016 व उसके आधार पर भरा गया नामान्तरणकरण कब्जे के अभाव में शुन्य दस्तावेज है तथा उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरणकरण प्रार्थी के अधिकारो पर शुन्य व निस्प्रभावी है तथा प्रार्थी उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरणकरण से पाबन्द नहीं है।

(2) **अप्रार्थी सं0 1 से 6 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया की** – बब्लाराम उर्फ मंगालाराम की शादी ग्राम सिरसी में चावली पुत्र मेहर सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनो के नुथ से एक जायन्दा पुत्र रामकुमार पैदा हुआं। प्रार्थी का यह कथन अस्वीकार है कि मै मंगलाराम उर्फ बल्लाराम के गोद गया था। मैने बल्लाराम की सेवाकारी चाकरी की थी। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के पूर्व में संतान है तो दुसरे पुत्र सन्तान को गोद लिया जाना कानूनी गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बल्लाराम के गोद कानूनी रूप से गोद नही जा सकता है। ना ही प्रार्थी बल्लाराम उर्फ मंगलाराम ने प्रार्थी को गोद लिया है। बल्लाराम उर्फ मंगलाराम दोनो एक ही व्यक्ति है । बल्लाराम के फौत होने पर रामकुमार की माता चावली अपने पीहर सिरसी हरियाणा में रहने लग गई थी। रामकुमार की माता चावली का देहान्त होने पर चावली के हिस्से में आई भूमि का राजस्व रिकार्ड राजकुमार के नाम दर्ज हुआं । रामकुमार बल्लाराम का जायन्दा पुत्र संतान है। विधानसभा पिलानी सूची क्रमांक सं. 571 भाग सं. 36 में रामकुमार पुत्र मंगलाराम दर्ज है। रामकुमार के पहचान पत्र में रामकुमार पुत्र मंगलाराम दर्ज है। राजकुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी राजकुमार पुत्र मंगलाराम दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि रामकुमार मंगलारामउर्फ बल्लाराम का जायन्दा पुत्र है। विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर पहले बल्लराम उर्फ मंगलाराम खातेदार काश्तकार काबिज था। उसके देहान्त के बाद रामकुमार [illegible] पत्नी चावली काश्तकार रहे। रामकुमार माता चावली के देहान्त [illegible] अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 खातेदार काश्तकार काबिज रहे। तथा [illegible] अपने हिस्से 1/2 भूमि को अप्रार्थी सं. 6 को विक्रकर कब्जा करवा दिया। क्रय दिनांक से अप्रार्थी सं. 6 को हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

1/2 पर काबिज है। प्रार्थी झुठे तथ्यों के आधार पर पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारीज है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया गया है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण (Prima facie Case):–

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उद्धृत करते हुए निवेदन किया कि थी। बल्लाराम के कोई सन्तान नही थी। बल्लाराम की पत्नी का स्वर्गवास भी बल्लाराम से बहुत पहले हो गया था। बल्लाराम की पत्नी अपने भाई के पुत्र रामकुमार को अपने साथ रखती थी। बल्लाराम का राशन कार्ड आदि बना उसमें रामकुमार का नाम बल्लाराम के पुत्र के रूप में दर्ज हो गया और इसी प्रकार अन्य दस्तावेजात में भी नाम दर्ज हो गया। किन्तु बल्लाराम उर्फ मंगलाराम के रामकुमार नाम की कोई सन्तान नही थी। रामकुमार सिरसी से आकर बल्लाराम उर्फ मंगलाराम व उसकी पत्नी के साथ रहता था। जब विवादित भूमि में अप्रार्थी न0 1 से 5 के ही कोई अधिकार नही थे तो केता अप्रार्थी न0 6 को भी कोई अधिकार प्राप्त नही हुए है। प्रतिवादी न0 1 से 5 का भूमि का कब्जा नही था तो अप्रार्थी न0 6 का कब्जा भी प्राप्त नही हुआ है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 05.04.2016 व उसके आधार पर भरा गया नामान्तरणकरण कब्जे के अभाव में शुन्य दस्तावेज है तथा उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरणकरण प्रार्थी के अधिकारो पर शुन्य व निस्प्रभावी है तथा प्रार्थी उक्त विक्रय पत्र व नामान्तरणकरण से पाबन्द नहीं है। अप्राथी सं. 1 लगायत 5 को उक्त विवादित कृषि भूमि के किसी विशिष्ठ भाग का बेचान का अधिकार नही है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को उद्धृत करते हुए तर्क किया कि बब्लाराम उर्फ मंगालाराम की शादी ग्राम सिरसी में चावली पुत्र मेहर सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनो के नुथ से एक जायन्दा पुत्र रामकुमार पैदा हुआं। प्रार्थी का यह कथन अस्वीकार है कि मै मंगलाराम उर्फ बल्लाराम के गोद गया था। मैने बल्लाराम की सेवाकारी चाकरी की थी। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के पूर्व में संतान है तो दुसरे पुत्र सन्तान को गोद लिया जाना कानूनी गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बल्लाराम के गोद कानूनी रूप से गोद नही जा सकता है। ना ही प्रार्थी बल्लाराम उर्फ मंगलाराम ने प्रार्थी को गोद लिया है। बल्लाराम उर्फ मंगलाराम दोनो एक ही व्यक्ति है । बल्लाराम के फौत होने पर रामकुमार की माता चावली अपने पीहर सिरसी हरियाणा में रहने लग गई थी। रामकुमार की माता चावली का देहान्त होने पर चावली के हिस्से में आई भूमि का राजस्व रिकार्ड राजकुमार के नाम दर्ज हुआं । अपने हिस्से 1/2 भूमि को अप्रार्थी सं. 6 को विक्रय करवा करवा दिया। क्रय दिनांक से अप्रार्थी सं. 6 को हिस्सा 1/2 पर काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया प्रकरण आधारहीन होने के कारण चलने योग्य नहीं है। इसलिए यह बिन्दु अनावेदकगण के पक्ष में व आवेदकगण के विपरीत तय हो जाता है।

सुविधा का सन्तुलन– इस बिन्दु के संबंध में यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है ग्राम घिघवा बिचला में चन्द्रा व बल्लाराम की खातेदारी काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 329 / 210 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 330 / 209 रकबा 0.02 है., गै.मु. कुआं किता 3 रकबा 0.63 है., स्थित है। भूमि में बल्लाराम का हिस्सा 1 / 2 व चन्द्र का हिस्सा 1 / 2 रहा है। बल्लाराम की मृत्यु के पश्चात रामकुमार के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि बल्लाराम का हिस्सा 1 / 2 रहा है। उसी अनुसार उसके वारिस रामकुमार का नाम दर्ज हुआं है। इसलिए यह बिन्दु भी आवेदक के पक्ष में नही पाया जाता है। तथा अनावेदकगण के पक्ष में पाया जाता है।

अपूर्तनीय क्षति– इस बिन्दु के संबंध में यह प्रथम दृष्टया ही साबित है कि कोई भी व्यक्ति किसी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नही कर सकता। वाद वर्णित भूमि चन्द्राराम व बल्लाराम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 बल्लाराम के उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के पूर्वाधिकारी बल्लाराम के देहान्त के बाद वाद वर्णित में विधिवत् विरासतन का नामान्तकरण दर्ज होकर रामकुमार पुत्र बल्लाराम के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थी सं. 1 लागयत 5 ने भूमि का बेचान कर चुके है जो प्रस्तुत विक्रय पत्र से साबित होता है। इसलिए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाया जाता है।

(7) न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है – राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण / वादीगण का हिस्सा होना विवादित नही है। वाद वर्णित भूमि चन्द्राराम व बल्लाराम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 बल्लाराम के उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 के पूर्वाधिकारी बल्लाराम के देहान्त के बाद वाद वर्णित में विधिवत विरासतन का नामान्तकरण दर्ज होकर रामकुमार पुत्र बल्लाराम के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थी स. 1 लागयत 5 ने भूमि का बेचान कर चुके है जो प्रस्तुत विक्रय पत्र से साबित होता है। वाद वर्णित भूमि अप्रार्थीगण स0 1 ल0 5 के हकपूर्वाधिकारी के हिस्से में आई थी। व उसी मुताबिक वह कब्जेकारत करते चले आ रहे है। दावा घोषणात्मक का होने से दावा का निस्तारण गुणावगुणो एवं साक्ष्य / सबुत निर्भर करता है। व इस सम्बन्ध में स्टेज पर कोई राय व्यक्त किया जाना उचित नही है। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज होना पाया जाता है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ट भाग पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए [illegible] ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते है ऐसी स्थिति में [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

निस्तारण योग्य है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणनीय नही होने से खारिज किया जाता है।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना
सूरजगढ़

निर्णय आज दिनांक 05-07-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना
सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested